न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 75/2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 ओमप्रकाश 2 चैनाराम 3 किशनलाल 4 दलाराम 5 माली पिसरान राजूराम जाति जाट निवासी तुलसी नगर (गालाबेरी) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 राजूराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी तुलसी नगर 2 हरचंदराम 3 मोमताराम पिसरान बालाराम 4 भूराराम 5 कालूराम 6 दानाराम 7 लाभूराम 8 राणाराम पिसरान अचलाराम जाति जाट निवासी गोदारासर (बेरिवाला तला) तहसील व जिला बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेड बैंक शाखा कुड़ला जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।

2. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 17.9.21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08, तुलसाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की पैतृक भूमि मौजा गोदारासर (बेरीवाला तला) पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1509/1250 रकबा 132.10 बीघा तथा मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 973 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 1088/986 रकबा 13.15 बीघा तथा खसरा संख्या 1163/974 रकबा 28.05 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में वादीगण का हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 राजूराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। मौजा गोदारासर (बेरीवाला तला) पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1509/1250 रकबा 132.10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/3 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा तथा मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 973 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 1088/986 रकबा 13.15 बीघा तथा खसरा संख्या 1163/974 रकबा 28.05 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा निहित होने से सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि में उक्तानुसार हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी ओमप्रकाश द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 राजूराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे सहखातेदार घोषित किया जाकर मौजा गोदारासर (बेरीवाला तला) पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1509/1250 रकबा 132.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा तथा मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 973 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 1088/986 रकबा 13.15 बीघा तथा खसरा संख्या 1163/974 रकबा 28.05 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा भारतीय स्टेड बैंक शाखा कुडला के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा एवं अभिलेख, वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा गोदारासर (बेरीवाला तला) पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1509/1250 रकबा 132.10 बीघा तथा मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 973 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 1088/986 रकबा 13.15 बीघा तथा खसरा संख्या 1163/974 रकबा 28.05 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 राजूराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मौजा गोदारासर (बेरीवाला तला) पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1509/1250 रकबा 132.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 973 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 1088/986 रकबा 13.15 बीघा तथा खसरा संख्या 1163/974 रकबा 28.05 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 राजूराम का हिस्सा भारतीय स्टेड बैंक शाखा कुड़ला में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.9.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर